वित्त निर्देश–09/2009

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय रायपुर

क्रमांक 72/162/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की अधिसूचना ।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 70/162/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 23/03/2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 अधिसूचित की गई है ।

उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 73/162/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2009

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर

.....2//

2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx
e=ky;] jk;iqj

/ /अधिसूचना/ /

रायपुर, दिनांक 23 मार्च, 2009

क्रमांक 70/162/वित्त/नियम/चार/2009, भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1- lf{kIr uke vkj ikjHk –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **NRrhlx< oru iujh{k.k fu;e] 2009** है ।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

2- 'kkldh; lodk d iox] ftudk ; fu;e ykx gkx :– इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों को लागू होंगे जो राज्य सरकार के नियम बनाने संबंधी नियंत्रण के अधीन आते हैं :

परन्तु ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू नहीं होंगे :–

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति;

(ख) अंशकालीन तथा दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी;

(ग) पुनः नियोजित पेंशन भोगी;

(घ) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले व्यक्ति और कार्यभारित कर्मचारी;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति;

(च) अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों में वेतन पाने वाले व्यक्ति;

(छ) शेट्टी कमीशन के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति; और

(ज) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग जिसे राज्यपाल आदेश द्वारा, इस निमित्त विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करें ।

Li"Vhdj.k :– खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिये पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित नहीं आयेंगे जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं ।

3- ifjHkk"kk,a :– इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) ''**fo|eku ey oru**'' से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित विद्यमान वेतनमान में आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन, आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।

(2) शासकीय सेवकों के संबंध में ''**fo|eku orueku**'' से तात्पर्य उस वर्तमान वेतनमान से है जो शासकीय सेवक द्वारा 01 जनवरी, 2006 को मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा, जैसा भी मामला हो, उसे लागू वैयक्तिक वेतनमान) पर लागू हो ।

Li"Vhdj.k :– किसी शासकीय सेवक के मामले में जो 01 जनवरी, 2006 को अवकाश पर अथवा विदेश में प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में था या जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य करता होता, ''विद्यमान वेतनमान'' में किसी पद के लिये ग्राह्य वेतनमान जो उसने अवकाश पर, भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर, बाह्य सेवा पर अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न न रहने पर भी धारित किया होता, शामिल होगा ।

(3) ''**fo|eku ifjyfC/k;k¡**'' से आशय है एवं इसमें शामिल है :–

(क) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक –

(i) विद्यमान मूल वेतन, तथा

(ii) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई भत्ता

(ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से –

(i) विद्यमान मूल वेतन,

(ii) मूल वेतन पर 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन, तथा

(iii) मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के योग पर 24 प्रतिशत मंहगाई भत्ता ।

(4) अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में ''**fo|eku osrueku**'' से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख उस पद के समक्ष कॉलम 3 में किया गया है ।

(5) ''**osru cSaM esa osru**'' का तात्पर्य है अनुसूची–एक के कॉलम 5 में दिये गये रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन ।

(6) ''**xzsM osru**'' से आशय है विद्यमान वेतनमानों/पदों के तत्स्थानी अनुसूची–एक के कॉलम–6 में निर्धारित नियत राशि ।

(7) अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित किसी भी पद के संबंध में ''**iqujhf{kr osru lajpuk**'' का तात्पर्य उस वेतनमान या पद के समक्ष उसके कालम 5 तथा 6 में उल्लेखित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से है ।

(8) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ''**ewy osru**'' से तात्पर्य निर्धारित वेतन बैंड + लागू ग्रेड वेतन पर आहरित वेतन से है परन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है ।

(9) ''**iqujhf{kr ifjyfC/k;ka**'' का तात्पर्य है शासकीय सेवक का उसके वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग ।

(10) ''**vuqlwph**'' का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ।

4- ink dk orrueku – अनुसूची–एक के कॉलम दो में उल्लेखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन वह होगा जिसका उल्लेख उसके सामने कॉलम 5 तथा 6 में किया गया है ।

5- iujhf{kr orru lajpuk e orru dk vkgj.k – प्रत्येक शासकीय सेवक उसके नियुक्ति के पद पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करेगा;

परन्तु कोई शासकीय सेवक विद्यमान वेतनमान में उसकी आगामी या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण बन्द करने तक विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करने का चयन कर सकता है;

परन्तु यह भी है कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इन नियमों के अधिसूचना की तिथि के बीच पदोन्नति अथवा वेतनमान के स्तरोन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, शासकीय सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है ।

Li"Vhdj.k :–

(1) इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक ही विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।

(2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञेय नहीं होगा जो 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया है, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा ।

(3) जहां कोई शासकीय सेवक, नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किये गये किसी पद के संबंध में विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने के विकल्प का इस नियम के परन्तुक के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूल नियम 22 या उस पद पर लागू किसी अन्य नियम या आदेश के अधीन उस वेतनमान में वेतन के विनियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन, वह मूल वेतन होगा जो वह

उस दशा में आहरित करता जबकि वह उस स्थायी पद के संबंध में जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता या धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता अथवा उस स्थानापन्न पद का वेतन जिसे उस समय लागू किसी आदेश द्वारा मौलिक वेतन का स्वरूप प्राप्त है, में जो भी अधिक हो, होगा ।

6- fodYi dk i;ksx :–

(1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों के अनुसूची–तीन के साथ संलग्न प्रारूप में, लिखित में, इस तरह किया जाएगा कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान इस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर उपनियम (2) में उल्लेखित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

ijUrq :–

(क) किसी ऐसे शासकीय सेवक के मामले में, जो यथास्थिति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख या ऐसे आदेश की तारीख पर अवकाश में हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति में हों, उक्त विकल्प का प्रयोग इस प्रकार से कर सकेगा कि राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर संबंधित प्राधिकारी को लिखित में प्राप्त हो जाए;

(ख) जहां कोई शासकीय सेवक 01 जनवरी, 2006 को निलंबन में हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उपनियम में विहित की गई है; तथा

(ग) वे शासकीय सेवक जो 01 जनवरी, 2006 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे ।

(2) शासकीय सेवक द्वारा विकल्प उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा। कार्यालय प्रमुख अपना स्वयं का विकल्प नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) अगर शासकीय सेवक का लिखित विकल्प उप–नियम 1 के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर प्राप्त नहीं हो तो यह मान लिया जाएगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है ।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा । विकल्प में कांट–छांट या उपरिलेखन स्वीकार्य नहीं होगा ।

fVIi.kh 1 – वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गईं हैं और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं ।

fVIi.kh 2 – ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् हो गई हो तथा जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका हो, के संबंध में, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अधिक अनुकूल है, यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये विकल्प का प्रयोग 01 जनवरी, 2006 से या उसके पश्चात्वर्ती किसी तिथि से, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिक लाभप्रद समझा जाये, किया गया है, और तद्नुसार उसका वेतन नियत किया जायेगा ।

7- iqujhf{kr oru ljpuk e ikjfHkd oru dk fu/kkj.k :

(1) उस शासकीय सेवक का जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता है या जिसके बारे में नियम 6 के उप नियम (3) के अन्तर्गत यह समझा जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, उस दशा के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें, प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थायी पद के संबंध में जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या धारणाधिकार रखता यदि उसे निलम्बित न कर दिया गया होता तथा उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के संबंध में अलग–अलग, निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात् :–

(एक) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2006 की स्थिति में विद्यमान मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के आगामी गुणक में पूर्णांकित कर किया जायेगा;

(दो) यदि पुनरीक्षित वेतन बैंड का न्यूनतम उपर्युक्त (एक) के अनुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन, पुनरीक्षित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जायेगा;

परन्तु यह भी है कि :–

वेतन निर्धारण में, जहां, किसी विद्यमान वेतनमान में दो या दो से अधिक लगातार प्रक्रमों पर वेतन आहरित करने वाले शासकीय सेवकों के वेतन का समूहीकरण हो जाता है, अर्थात्, पुनरीक्षित वेतन बैंड में एक ही प्रक्रम में वेतन निर्धारित होता है, तो इस प्रकार से समूहीकृत प्रत्येक दो प्रक्रमों के लिये एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा जिससे कि पुनरीक्षित रनिंग वेतन बैंडों में दो से अधिक प्रक्रमों का समूहीकरण न हो । इस प्रयोजन के लिये, वेतनवृद्धि की गणना ''वेतन बैंड'' में वेतन पर की जाएगी । समूहीकरण को कम करने के उद्देश्य से स्वीकृत ऐसी वेतनवृद्धि परिगणित करने हेतु ग्रेड वेतन को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।

उपर्युक्त ढंग से वेतन में वृद्धि किये जाने से यदि किसी शासकीय सेवक का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड में किसी ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित होता है जो उसी विद्यमान वेतनमान में किसी आगामी उच्च प्रक्रम या प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाले शासकीय सेवक का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जायेगा जितना कि पहले वाले शासकीय सेवक की तुलना में कम हो ।

(तीन) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा । वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त, विद्यमान वेतनमान का तस्थानी ग्रेड वेतन भी देय होगा ।

fVli.kh 1 – उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों में व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

fVli.kh 2 – कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन की पात्रता है, दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प देने की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित

करने का पात्र होगा । इसी प्रकार, यदि कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अध्ययन अवकाश पर हो तो वह 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा ।

fVIi.kh 3 – निलंबित शासकीय सेवक विद्यमान वेतनमान के आधार पर निलंबन भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम आदेश के अधीन होगा ।

fVIi.kh 4 – यदि किसी शासकीय सेवक की 'विद्यमान परिलब्धियां', 'पुनरीक्षित परिलब्धियों' से अधिक हैं, तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जायेगा जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा ।

fVIi.kh 5 – जहां ऐसे शासकीय सेवक का, जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ठीक पहले उसी संवर्ग के किसी कनिष्ठ शासकीय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा उप नियम (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन बैंड में उसका वेतन, ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे के स्तर पर निर्धारित हुआ हो, उसका वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के समान स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा ।

fVIi.kh 6 – जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और यदि व्यक्तिगत वेतन को विद्यमान परिलब्धियों में शामिल करने से इसका योग पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक होता है, तो उक्त आधिक्य के समान अन्तर की राशि उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा ।

fVIi.kh 7 & ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व हुई है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है जिसकी पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद में हुई है, तो उस वरिष्ठ शासकीय सेवक का वेतन बैंड में वेतन में वृद्धि कर उतना कर दिया जाएगा जितना कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी का उच्च पद पर निर्धारित हुआ है । ऐसी वृद्धि शासकीय सेवक की पदोन्नति की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जावेगी, अर्थात् :–

(अ) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शासकीय कर्मचारी को एक ही संवर्ग का होना चाहिए तथा जिस पद पर उनकी पदोन्नति हुई है, वह पद भी एक ही संवर्ग का समान पद होना चाहिए ।

(ब) उच्च एवं निम्न पदों का विद्यमान वेतनमान तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन जिस पर वेतन आहरण की पात्रता है, समरूप होना चाहिए ।

(स) वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी का पदोन्नति के समय वेतन, कनिष्ठ शासकीय सेवक के वेतन के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए ।

(द) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विनियमन से संबंधित किसी नियम या आदेश को लागू करने के कारण होना चाहिए ।

परन्तु यदि निम्न पद पर कनिष्ठ शासकीय सेवक उसे स्वीकृत किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के फलस्वरूप वरिष्ठ शासकीय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ शासकीय सेवक के वेतन में वृद्धि नहीं की जावेगी ।

(2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन, उप नियम (1) के तहत् स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन यदि स्थाई पद के वेतन से कम है तो उसे स्थाई पद के वेतन के समान प्रक्रम में निर्धारित किया जाएगा ।

8- fnukd 01 tuojh] 2006 dk vFkok mldk i'pkr uofu;Dr 'kkldh; lodk dk iujhf{kr oru ljpuk e oru fu/kkj.k :–

इन नियमों की अनुसूची–दो वेतन बैंड में उस प्रारंभिक वेतन को दर्शाता है जिस पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् किसी निर्दिष्ट पद पर विशिष्ट ग्रेड वेतन पर सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवक का वेतन नियत किया जाएगा ।

यह दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच नियुक्त कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में, जहां नियुक्ति तिथि पर विद्यमान वेतनमान/वेतनमानों में परिलब्धियां (अर्थात् नियुक्ति तिथि पर

विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन तथा उस पर देय मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ता), पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो वहां अन्तर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धियों में समायोजित किया जायेगा ।

9- iqujhf{kr osru lajpuk esa osruof) dh nj :–

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगा, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा । वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड के वर्तमान वेतन में जोड़ी जाएगी ।

टिप्पणी– इस संबंध में उदाहरण–2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

10- iqujhf{kr osru lajpuk esa vkxkeh osruof) dh rkjh[k :–

वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात्, प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई होगी । दिनांक 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 6 माह तथा इससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले शासकीय सेवक को वेतनवृद्धि की पात्रता होगी । पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात्, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 के बीच में पड़ती थी, प्रथम वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को स्वीकृत की जावेगी ।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों के मामलों में जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष से अधिक अवधि से वेतन आहरित कर रहे थे, पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को मान्य की जावेगी । उसके पश्चात् नियम 10 का प्रावधान लागू होगा ।

परन्तु उन मामलों में जब कोई शासकीय सेवक अपने वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुंच जाता है, ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् आगामी उच्चतर वेतन बैंड दिया जायेगा । उच्च वेतनबैंड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा । इसके पश्चात्, वेतन बैंड–4 के अधिकतम स्तर तक पहुंचने तक वह निरंतर

उच्चतर वेतन बैंड प्राप्त करता रहेगा, तदोपरान्त कोई और वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

11- iujh{kr oru lajpuk e 01 tuojh] 2006 d i'pkr oru dk fu;ru :–

जहां कोई शासकीय सेवक विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 01 जनवरी, 2006 के पश्चात्वर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पश्चात्वर्ती तारीख से उसके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

(क) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण उक्त पश्चात्वर्ती तारीख के विद्यमान मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त अंक को 10 के आगामी गुणक से पूर्णांकित कर किया जाएगा, जो लागू वेतन बैंड में वेतन होगा । इसके अलावा, विद्यमान वेतनमान का तस्थानी ग्रेड वेतन भी देय होगा ।

(ख) यदि पुनरीक्षित वेतन बैंड का न्यूनतम उपर्युक्त (क) के अनुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन, पुनरीक्षित वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा।

12- fnukd 01 tuojh] 2006 d iwoZ /kkfjr fdlh in ij mDr frfFk d i'pkr iquZfu;fDr gku ij oru fu/kkj.k :–

कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूल नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद को धारण किये होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता ।

13- 01 tuojh] 2006 dk ;k mld i'pkr inkUufr ij oru fu/kkj.k –

पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण हेतु वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत के समान एक वेतनवृद्धि की राशि परिगणित कर उसे 10 के आगामी गुणांक से पूर्णांकित किया जायेगा । इस राशि को वेतन बैंड में वर्तमान वेतन के साथ जोड़ा जायेगा । तदोपरान्त वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद का तस्थानी ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जायेगा । उन मामलों में जहां पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन बैंड में भी परिवर्तन होता है, समान प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा । किन्तु, यदि वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् वेतन बैंड में वेतन उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होता है, वेतन बैंड में वेतन ऐसे न्यूनतम के समान निर्धारित किया जायेगा ।

14- oru d cdk;k dk Hkxrku –

संबंधित अवधि के वेतन के बकाया का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तों में नगद में किया जाएगाः–

(क) वर्ष 2009–10 – जनवरी, 2006 से अक्टूबर, 2006 तक

(ख) वर्ष 2010–11 – नवम्बर, 2006 से अगस्त, 2007 तक

(ग) वर्ष 2011–12 – सितम्बर, 2007 से अगस्त, 2008 तक

Li"Vhdj.k – इस नियम के प्रयोजन हेतु –

(क) किसी शासकीय सेवक के संबंध में, ''**cdk;k oru**'' का तात्पर्य निम्न के अन्तर से है :–

(i) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन एवं भत्ते, जिसकी संबंधित अवधि हेतु उसे पात्रता है, तथा

(ii) संबंधित अवधि में वेतन एवं भत्ते जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।

(ख) ''**lcf/kr vof/k**'' का तात्पर्य है दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि ।

15- fu;eksa dk v/;kjksgh izHkko –

उन मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हो ।

16- f'kfFky djus dh 'kfDr –

राज्य सरकार, शासकीय सेवकों को या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन, जो यथास्थिति किसी शासकीय सेवक या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जायेगा ।

17- fuoZpu –

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भुत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

¼,l-d-pØorhZ½
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

vu|lph & ,d

(नियम 3 और 4 देखें)

fo|eku osruekuk dk fy, i|ujhf{kr osru cSM rFkk xzsM osru

विद्यमान वेतनमान			पुनरीक्षित वेतन संरचना		
क्र.	पद/ ग्रेड	विद्यमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	एस–1	2550–55–2660–60–3200	1 एस	4750–7440	1300
2	एस–2	2610–60–3150–65–3540	1 एस	4750–7440	1400
3	एस–3	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैंड–1	5200–20200	1800
4	एस–4	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
5	एस–4ए	3500–80–4700–100–5200	वेतन बैंड–1	5200–20200	2200
6	एस–5	4000–100–6000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
7	एस–6	4500–125–7000	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
8	एस–7	5000–150–8000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
9	एस–8	5500–175–9000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4300
10	एस–9(i)	6500–200–9100	वेतन बैंड–2	9300–34800	4400
	एस–9(ii)	6500–200–10500	वेतन बैंड–2	9300–34800	4400
11	एस–9ए	7500–250–12000	वेतन बैंड–2	9300–34800	4800
12	एस–10	8000–275–13500	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
13	एस–11	10000–325–15200	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
14	एस–12	10650–325–15850	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
15	एस–13	12000–375–16500	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600
16	एस–14	14300–400–18300	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
17	एस–15	16400–450–20000	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900
18	एस–16	18400–500–22400	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000

vuqlph&nk

(नियम 8 देखें)

दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन

वेतन बैंड 1 एस (4750–7440)

xM oru	oru cM e oru	dy
1300	4750	6050
1400	4860	6260

वेतन बैंड 1 (5200–20200)

1800	5200	7000
1900	5680	7580
2200	6510	8710
2400	7440	9840
2800	8370	11170

वेतन बैंड 2 (9300–34800)

4200	9300	13500
4300	10230	14530
4400	12090	16490
4800	13950	18750

वेतन बैंड 3 (15600–39100)

5400	15600	21000
6600	18600	25200
7600	22320	29920

वेतन बैंड 4 (37400–67000)

8700	37400	46100
8900	39690	48590
10000	42120	52120

vuqlph&rhu

fodYi dk ik:i

(नियम 6 देखिये)

मैं ———————————————————— एतद्द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरण का चयन करता/करती हूँ ।

या

मैं ———————————————————————————— एतद्द्वारा अपने मूल / स्थानापन्न पद ———————————————————————————— के विद्यमान वेतनमान रूपये ———————————— को

*(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक

या *(ख) मेरा वेतन रूपये ———————————— तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

या *(ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान वेतनमान (रूपये ————————————————) में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता/करती हूँ ।

स्थान –

तारीख –

हस्ताक्षर ————————————

नाम ————————————

पदनाम ————————————

कार्यालय जिसमें नियोजित है ———————

————————————————

*जो लागू न हो काट दीजिए

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ———————————— (नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ———————————— को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर ————————————

पदनाम ————————————

'kkldh; lodk d fy, 0;k[;kRed Kkiu

उदाहरण–1

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण –

1.	विद्यमान वेतनमान	4000–100–6000
2.	लागू वेतन बैंड	5200–20200 रूपये (वेतन बैंड–1)
3.	01 जनवरी, 2006 को विद्यमान मूल वेतन	4800 रूपये
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रूपये (8930 रूपये में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	8930 रूपये
6.	बंचिग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रूपये
7.	वेतन बैंड में तस्थानी ग्रेड वेतन	2400 रूपये
8.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	11330 रूपये

उदाहरण–2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1.	वेतन बैंड–2 में वेतन	9300 रूपये
2.	ग्रेड वेतन	4200 रूपये
3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	13500 रूपये
4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रूपये, 410 रूपये पूर्णांकित
6.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300 + 410 रूपये
7.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन	9710 रूपये
8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रूपये

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, the 23 March 2009

No. 70/162/F/R/IV/2009, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement** –

   (1) These rules may be called The Chhattisgarh Revision of Pay Rules, 2009.
   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. **Categories of Government servants to whom the rules applied**: – Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to all Government servants under the rule making control of the state Government.

   But these rules shall not be applicable to the Government servants of following categories:-

(i) persons appointed on contract;
(ii) part time and daily rated employees;
(iii) re-employed pensioners;
(iv) persons paid from contingencies and work-charged employees;
(v) Persons paid on pay scales of The University Grant Commission and All India Council for Technical Education;
(vi) persons drawing pay in the All India Service scales;
(vii) judicial service personnel paid on pay scales recommended by the Shetty Commission; and
(viii) any other class or category of persons as the Governor may, by order, specially specify in this behalf.

Explanation- For the purpose of clause (iii), the term re-employed pensioners shall not include the re-employed pensioners who were in receipt of compensation or invalid pension and the military pensioners, who were in receipt of compensation or invalid pension and re-employed under the rule making control of the state Government and drawing pay in the existing scale.

3. Definitions :- In these rules unless the context otherwise requires-

(1) **"existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing scale of pay , but does not include any other type of pay like 'special pay', etc.

(2) **"existing scale"** in relation to a Government servant means the present scale applicable to the post held by the Government servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1st day of January, 2006 whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation- In the case of a Government servant, who was on the 1st day of January, 2006 on leave or on deputation out of India or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating on a higher post, "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on leave or on deputation out of India or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating on a higher post;

(3) **"existing emoluments"** means and includes:-

(a) From 1st January 2006 to 31st March 2007-

(i) existing basic pay, and

(ii) dearness allowance appropriate to the basic pay.

(b) From 1st April 2007-

(i) existing basic pay,

(ii) dearness pay at the rate of 50% of basic pay, and

(iii) 24% dearness allowance on basic pay plus dearness pay.

(4) **"present scale"** in relation to any post /grade specified in column 2 of the Schedule-I means the scale of pay specified against that post in column 3 thereof.

(5**)** **"pay in the pay band"** means pay drawn in the running pay bands specified in Column 5 of the Schedule-I.

(6) **"grade pay"** is the fix amount corresponding to the pre-revised pay scales/posts as specified in the column-6 of schedule I.

(7) **"revised pay structure"** in relation to any post specified in column 2 of the Schedule-I means the pay band and grade pay specified against that post specified in column 5 and 6 thereof.

(8) **"basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

(9) **"revised emoluments"** means the pay in the pay band plus the grade pay of a Government servant in the revised pay structure.

(10) **"schedule"** means a schedule annexed to these rules.

4. Scale of pay of posts- The pay band and grade pay of every post/grade specified in the Column 2 of the Schedule-I, in revised pay structure, shall be as specified against it in column 5&6 thereof.

5. Drawal of pay in the revised structure- A Government servant shall draw pay in revised pay structure applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or cease to draw pay in that scale;

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these rules, on account of promotion, upgradation of pay scales etc., the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation, etc.

Explanation:-

(1) The option to retain the existing scale under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

(2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2006, whether for the first time in Government service or by transfer from another post, he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

(3) Where a Government servant exercise the option under the provisos to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in

an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Fundamental Rule 22 or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. Exercise of Option -

(1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the schedule-III so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months of date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months of the date of such order.

Provided that-

(i) in the case of a Government servant who is on the date of such publication, or as the case may be, on the date of such order on leave or deputation out of state, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of his taking charge of his post under the state Government;

(ii) where a Government servant is under suspension on the 1st day of January,2006, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule; and

(iii) those Government servants who have retired after 1st January, 2006, and before publication of these rules, shall be entitled to exercise their options under this rule.

(2) The option shall be intimated by the Government servant to the head of his office. The head of office shall submit his own option to his controlling officer.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2006.

(4) The option once exercised shall be final. Cutting or overwriting in the option shall not be accepted.

Note 1- Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note 2- Persons who have died on or after the 1st day of January, 2006 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006 or such later date as is found most beneficial by the concerning authority, if the revised pay structure is more favorable and his pay may be fixed accordingly.

7. Fixation of initial pay in the revised pay structure –

(1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2006, shall unless in any case the state Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(i) the pay in the pay band will be determined by multiplying the existing basic pay as on 1st day of January, 2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10;

(ii) if the minimum of the revised pay band is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band ;

Provided that:-

Where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, increment will be calculated on the

pay in the pay band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increment to alleviate bunching.

If by stepping up of pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the later shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former.

(iii) the pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.

Note 1- Illustration 1 on the above is provided in the explanatory memorandum to these rules.

Note 2- A Government servant who is on leave on the 1st day of January, 2006 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure. Similarly when a Government servant is on study leave on the 1st day of January, 2006 he will be entitled to the benefits under these rules from 1.1.2006 or the date of option.

Note 3- A Government servant under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on the existing scale of pay and his pay in the revised pay structure will be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

Note 4- Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 5 – Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 2006 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall

be stepped up to the same stage in the revised pay band as that of the junior.

Note 6- Where a Government servant is in receipt of personal pay on the 1st day of January, 2006, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 7- In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 2006 draws less pay in the revised structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2006, pay in the pay band of the senior Government servant should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) Both the junior and the senior Government servants should belonging to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.
(b) The pre revised scale of pay and the grade pay in revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
(c) The senior Government servant at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior.
(d) The anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of the Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure.

Provided that if in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

(2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the

substantive post, the former will be fixed at the same stage as the substantive pay.

8. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1.1.2006 –

Schedule -II of these rules indicates the entry level pay in the pay band at which the pay of the direct recruits to a particular post carrying a specific grade will be fixed on or after 1.1.2006.

This will also be applied in the case of those recruited between 1.1.2006 and the date of issue of this Notification. In such cases, where the emoluments in the pre revised pay scale(s) [i.e., basic pay in the pre revised pay scale(s) plus Dearness Pay plus Dearness Allowance applicable on the date of joining] exceeds the sum of the pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference will be allowed as personal pay to be absorbed in the future increments in pay.

9. Rate of increment in the revised pay structure-

The rate of increment in the revised pay structure will be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which will be rounded off to the next multiple of 10. The amount of increment will be added to the existing pay in the pay band.

Note- Illustration 2 on the above is provided in the explanatory memorandum to these rules.

10. Date of next increment in the revised pay structure-

There will be a uniform date of annual increment, viz.1st July of every year. Employees completing six months or above in the revised pay structure as on 1st of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 1.1.2006 in the revised pay structure will be granted on 1.7.2006 for those employees, for whom the date of next increment was between 1st July 2006 and 31st December, 2006.

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1st day of January 2006. Thereafter the provision of Rule 10 would apply.

Provided that in cases where an employee reaches the maximum of his pay band, shall be placed in the next higher pay band

after one year of reaching such maximum in his pay band. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment will be provided. Thereafter, he will continue to move in the higher pay band till his pay reaches the maximum of the PB-4 pay band, after which no further increment will be granted.

11. Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1st day of January 2006 –

Where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2006 his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-

(i) pay in the pay band will be determined by multiplying the existing basic pay applicable on the later date by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10. In addition to this, the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale will be payable.

(ii) if the minimum of the revised pay band is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band.

12. Fixation of pay on re-appointment after the 1st day of January, 2006 to a post held prior to that date –

A Government servant who had officiated in a post prior to the 1st day of January, 2006 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the revised pay structure shall be allowed the benefit of the proviso to the Fundamental Rule 22, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of January, 2006, and had elected the revised pay structure on and from that date.

13. Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006 –

In the case of fixation of pay on promotion from one grade pay to another in the revised pay structure, one increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay

in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which promotion is taking place, pay in the pay band will be stepped up to such minimum.

14. Mode of payment of arrear of pay- The arrear for the relevant period shall be paid in cash in three installments, in the following manner-

(i) Year 2009-10 - From January, 2006 to October, 2006
(ii) Year 2010-11 - From November, 2006 to August, 2007
(iii) Year 2011-12 - From September, 2007 to August, 2008

Explanation- For the purpose of this rule:

(a) **"arrear of pay"** in relation to a Government servant, means the difference between:

(i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of revision of his pay and allowances under these rules, for the relevant period; and

(ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (whether such pay and allowances have been received or not)for that period had his pay and allowances not been so revised.

(b) **"relevant period"** means the period commencing on the 1st day of January, 2006and ending with the 31st August 2008.

15. Overriding effect of rules- In cases where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules and any other rule shall not apply to the extent they are inconsistent with these rules.

16. Power to relax- The state Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in the case of Government servant or category of Government servants in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in public interest:

Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage of the Government servant or category of Government servants, as the case may be.

17. Interpretation- If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S. K. Chakraborty)
Deputy Secretary
Finance Department

Schedule-I

(See Rule 3 and 4)

Revised Pay Bands and Grade Pays for existing Pay Scales

Existing Pay Scale			Revised Pay Structure		
S. No.	Post/ Grade	Existing Pay Scale	Name of the Revised Pay Band	Pay Band	Grade Pay
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	S-1	2550-55-2660-60-3200	1 S	4750-7440	1300
2	S-2	2610-60-3150-65-3540	1 S	4750-7440	1400
3	S-3	2750-70-3800-75-4400	Pay Band-1	5200-20200	1800
4	S-4	3050-75-3950-80-4590	Pay Band-1	5200-20200	1900
5	S-4A	3500-80-4700-100-5200	Pay Band-1	5200-20200	2200
6	S-5	4000-100-6000	Pay Band-1	5200-20200	2400
7	S-6	4500-125-7000	Pay Band-1	5200-20200	2800
8	S-7	5000-150-8000	Pay Band-2	9300-34800	4200
9	S-8	5500-175-9000	Pay Band-2	9300-34800	4300
10	S-9 (i)	6500-200-9100	Pay Band-2	9300-34800	4400
	S-9 (ii)	6500-200-10500	Pay Band-2	9300-34800	4400
11	S-9 A	7500-250-12000	Pay Band-2	9300-34800	4800
12	S-10	8000-275-13500	Pay Band-3	15600-39100	5400
13	S-11	10000-325-15200	Pay Band-3	15600-39100	6600
14	S-12	10650-325-15850	Pay Band-3	15600-39100	6600
15	S-13	12000-375-16500	Pay Band-3	15600-39100	7600
16	S-14	14300-400-18300	Pay Band-4	37400-67000	8700
17	S-15	16400-450-20000	Pay Band-4	37400-67000	8900
18	S-16	18400-500-22400	Pay Band-4	37400-67000	10000

Schedule-II

(See Rule 8)

Entry pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1st January, 2006

Pay Band 1 S (4750-7440)

Grade pay	Pay in the pay band	Total
1300	4750	6050
1400	4860	6260

Pay Band 1 (5200-20200)

1800	5200	7000
1900	5680	7580
2200	6510	8710
2400	7440	9840
2800	8370	11170

Pay Band 2 (9300-34800)

4200	9300	13500
4300	10230	14530
4400	12090	16490
4800	13950	18750

Pay Band 3 (15600-39100)

5400	15600	21000
6600	18600	25200
7600	22320	29920

Pay Band 4 (37400-67000)

8700	37400	46100
8900	39690	48590
10000	42120	52120

Schedule-III

Form of Option

(See Rule-6)

I---------- hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January, 2006

or

I ---------- hereby elect to continue on the existing scale of pay of Rs. ---------- of my substantive/officiating Post of ---------- until

* (a) The date of my next increment

or *(b) The date of subsequent increment raising my pay to Rs ----------

or * (c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing scale of Rs. ----------

Station ----------
Date ----------

Signature ----------
Name ----------
Designation ----------
Office in which employed ----------
----

* (strike off if inapplicable)

FOR OFFICE USE ONLY

Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku. ---------- (name) is received in the office on ----------

Signature ----------
Designation ----------

Explanatory Memorandum for Government servants

Illustration-1

Fixation of initial pay in revised pay structure

1.	Existing pay scale	4000-100-6000
2.	Applicable pay band	Rs. 5200-20200 (Pay band-1)
3.	Existing basic pay on 1st January, 2006	Rs. 4800
4.	Pay after multiplication by factor of 1.86	Rs. 8928 (rounded off to Rs. 8930)
5.	Pay in pay band	Rs. 8930
6.	Pay in the pay band after adding the benefit of bunching, if applicable	Rs. 8930
7.	Corresponding grade pay in Pay band	Rs. 2400
8.	Basic pay in revised pay structure (sum of pay in pay band and grade pay)	Rs. 11300

Illustration-2

Pay fixation after allowing increment in Revised pay structure

1.	Pay in pay band	Rs. 9300
2.	Grade pay	Rs. 4200
3.	Sum of pay and Grade pay	Rs. 13500
4.	Rate of increment	3 % of 3 above
5.	Amount of increment	Rs. 405, rounded off to Rs. 410
6.	Pay in pay band after increment	Rs. 9300 + 410
7.	Pay after increment	Rs. 9710
8.	Applicable Grade pay	Rs. 4200